

27-5-2016

राजस्थान लोक न्यायालय कायदा अधिनियम 1983 के तहत उभय पक्षों को सुनवाई हेतु जोड़ने के बाद पत्रावली आज राजस्थान लोक न्यायालय न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित कर के सुनवाई प्रारंभ की गई। उक्त दोनों का ही फॉर्म दे जाना बताया गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायाधीशों के बीच बातचीत के लिए परामर्श किया जाता है। पत्रावली के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है।

10

27/5/16